

संख्या-30/2025/1075/ छिहत्तर-1-2025-1882022

प्रेषक,

डा० अम्वरीष कुमार सिंह,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,

राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,

लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक 30 मई, 2025

विषय: जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में। (अनुदान संख्या-93)

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-135/डब्लू-409(सी सी)/2025-26Fin-3, दिनांक 16 अप्रैल, 2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में उल्लेख करना है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित / निर्माणाधीन विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं में ग्रामों की अंतःग्राम अवसंरचनाओं पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में आबादी वाले ग्रामों में समुदाय अंश वहन किये जाने की व्यवस्था जल जीवन मिशन की गाइड लाइन में की गई है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-77/2024/ 3500/ छिहत्तर-1-2024-1780872 दिनांक 18-12-2024 द्वारा अपेक्षित व्यय राज्य बजट से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम की अंतः ग्राम अवसंरचनाओं हेतु सामुदायिक अंशदान की धनराशि अनुदान संख्या-93 के अंतर्गत रु 155250.00 लाख (रूपये पन्द्रह अरब बावन करोड़ पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित विवरण/ शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (i) प्रश्रुत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्रुत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय ग्रामों में निर्मित/ निर्माणाधीन अंतःग्राम अवसंरचनाओं पर ही किया जायेगा तथा व्यय उन्ही मदों में अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
- (iii) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा।
- (v) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/ व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।

- (VI) राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
- (VII) स्वीकृत धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने का दायित्व राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन का होगा।
- (VIII) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा। धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (IX) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/ बी-1-352/ दस-2025-231/2025, दिनांक 27-03-2025 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

5- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-93 के लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01 जलपूर्ति- 102-ग्रामीण जलपूर्ति-02 जल जीवन मिशन-04 जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए सामुदायिक अंशदान-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई0-2-7-दस-2025-26 दिनांक 06 मई, 2025 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
AMBRISH KUMAR SINGH  
Date: 30-05-2025  
11:51:15 AM  
अम्बरीष कुमार सिंह  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 30/2025/1075 (1)/छिहत्तर-1-2025-1882022 तद्दिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश।
- (2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- (3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (4) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) लखनऊ।
- (5) मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
- (6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- (7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1/2
- (8) गार्ड युक्त।

आज्ञा से,  
Digitally signed by  
OM PRAKASH CHAUHAN  
(ओम प्रकाश चौहान)  
Date: 30-05-2025  
11:59:04  
उप सचिव।